<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–187/2019</u>

शेख वकील एवं अन्य...वादीगण
बनाम
शेख हयात..प्रतिवादी

<u>22.11.2021</u> उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 23.08.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–1 शेख हयात की मृत्यु दिनांक 15.02.2021 को हो चुकी है तथा वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को छोड़ गए हैं। अतः वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को प्रतिस्थापित किया जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र प्रतिवादी शेख हयात की मृत्यु हो चुकी है तथा वे अपने पीछे अपनी बिधवा, 3 पुत्र एवं 5 पुत्रियों को छोड़ गए हैं। ऐसी दशा में न्याय हित में वादीगण का आवेदन स्वीकृत करते हुए कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम विलोपित करते हुए आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थिापित करें। तत्पश्चात वादीगण प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते प्रस्थिापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु अभिलेख दिनांक 13.01.22 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)